न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री वीरमाराम ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 18/2021

प्रार्थीगण

1. जेठाराम पुत्र सदाराम
2. नवलाराम पुत्र सदाराम
3. भारूराम पुत्र सदाराम
4. मूलाराम पुत्र सदाराम
5. मेहराराम पुत्र सदाराम
6. मानाराम पुत्र सदाराम
7. रूपाराम पुत्र सदाराम निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. ईसराराम पुत्र पदामाराम
2. केसाराम पुत्र पदमाराम
3. किस्तुराराम पुत्र पदमाराम
4. चेनी पत्नी पदमाराम
5. जगदीशकुमार पुत्र पदमाराम
6. चिमाराम पुत्र भगाराम
7. मेगाराम पुत्र भगाराम
8. जोगाराम पुत्र पुनमाराम
9. श्रीमती पनी पत्नी पुनमाराम
10. रामाराम पुत्र पुनमाराम
11. निम्बाराम पुत्र जीवाराम निवासी होडू तहसील सिणधरी, बाड़मेर (Dilit)
12. किशनाराम पुत्र हडमताराम
13. खेराजराम पुत्र हडमताराम फौतके कायम मुकामान
    13/1. हेमाराम पुत्र खेराजराम
    13/2. दलाराम पुत्र खेराजराम
    13/3. धर्माराम पुत्र खेराजराम
    13/4. लाछी पत्नी खेराजराम (Dilit) निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी
14. पदमाराम पुत्र चुतराराम (Dilit)
15. भेराराम पुत्र खियाराम
16. श्रीमति रूपोदवी पत्नी किशनाराम निवासी सिणधरी (Dilit)
17. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

18. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण बैंक, शाखा सिणधरी

19. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री रामजीवन विश्नोई, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री नारायण कुमावत,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9 से 10 एवं 12 से 14 व 16 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 08 व 17 से 18 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 14.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 12/1 रकबा 20.5324 हैक्टयर किस्म बा.सोयम ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 10 के खेत खसरा संख्या 13/54 रकबा 6.7956 हैक्ट , विप्रार्थी सं. 12 व 13 के खेत खसरा नम्बर 13/53 रकबा 8.7372 हैक्टयर, विप्रार्थी सं. 14 से 16 के खेत खसरा नम्बर 15/4 रकबा 8.5997 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 16 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 16 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 13/54, 13/53 व 15/4 में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9 से 10 एवं 12 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 08 व 17 से 18 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 11, 13/4, 14 व 16 से किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं होने से उन्हें मूल आवेदन के पक्षकार सूची से विलोपित किया गया है। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 12/1 रकबा 20.5324 हैक्टयर किस्म बा.सोयम ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 10 के खेत खसरा संख्या 13/54 रकबा 6.7956 हैक्ट , विप्रार्थी सं. 12 व 13 के खेत खसरा नम्बर 13/53 रकबा 8.7372 हैक्टयर, विप्रार्थी सं. 14 से 16 के खेत खसरा नम्बर 15/4 रकबा 8.5997 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 16 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 16 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 13/54, 13/53 व 15/4 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निष्कासन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में मामूली तौर पर स्थान परिवर्तन को देखते हुए विप्रार्थी सं 11,14, व 16 से कोई इस्तदुआ नहीं होने से उन्हें आवेदन में आवश्यक पक्षकार से हटाने हेतु विलोपित किया जावे तथा विप्रार्थी सं. 13/4 द्वारा जरिये हकतर्क अपना हिस्सा विप्रार्थी सं. 13/1 से 13/3 को किये जाने उसे भी आवश्यक पक्षकार से हटाते हेतु विलोपित किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 01 से 10, व 12 से 13 व 15 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9 से 10 एवं 12 से 16 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए आवागमन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार भूमि रास्ता के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने में अपनी सहमति प्रकट की गई।

5.विप्रार्थी संख्या 19 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.**हमनें** दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 12/1 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 13/54, 13/53 व 15/4 में से नये रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2022 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 945/22. 06.2022 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 12/1 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 76/15 समर्पित भूमि व खसरा नम्बर 13/54, 13/53 व 74/15 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर [illegible] सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

13/54 क्षेत्रफल 6.7956 हैक्टयर किस्म बा.सो.में लम्बाई 156 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा व लम्बाई 44 गटढा व चौड़ाई 02 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा), खसरा संख्या 13/53 क्षेत्रफल 8.7372 हैक्टयर किस्म बा.सो.में लम्बाई 246 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा) व खसरा संख्या 74/15 क्षेत्रफल 2.7102 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 90 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0405 हैक्टयर (रकबा 0.05 बीधा) का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–189025/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 13/54 क्षेत्रफल 6.7956 हैक्टयर किस्म बा.सो.में लम्बाई 156 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा व लम्बाई 44 गटढा व चौड़ाई 02 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा), की राशि–36715/–अक्षरे छतीस हजार सात सौ पन्द्रह रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 01 से 7 व 10, खसरा संख्या 13/53 क्षेत्रफल 8.7372 हैक्टयर किस्म बा.सो.में लम्बाई 246 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा) राशि–36715/–अक्षरे छतीस हजार सात सौ पन्द्रह रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 12 से 13 को व खसरा नम्बर 74/15 क्षेत्रफल 2.7102 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 90 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0405 हैक्टयर (रकबा 0.05 बीधा) की राशि–15313/–अक्षरे छतीस हजार सात सौ पन्द्रह रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 15 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

7.**लिहाजा** प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी की सहखातेदारी 13/54 क्षेत्रफल 6.7956 हैक्टयर किस्म बा.सो.में लम्बाई 156 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा व लम्बाई 44 गटढा व चौड़ाई 02 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा), खसरा संख्या 13/53 क्षेत्रफल 8.7372 हैक्टयर किस्म बा. सो.में लम्बाई 246 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0971 हैक्टयर (रकबा 0.12 बीधा) व खसरा संख्या 74/15 क्षेत्रफल 2.7102 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 90 गटढा व चौड़ाई 01 गटढा रकबा 0.0405 हैक्टयर (रकबा 0.05 बीधा) भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बसंती हरा कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 01 से 10, 12 से 13 व 15 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–88743/–अक्षरे अठ्यासी हजार सात सौ तैयालिस रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2022/945 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15-9-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:28:00 IST
Reason: SelfAttested